राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1428/2008/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत सी, उदयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन,
मुम्बई, हाल उदयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23/06/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपीलीय (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, उदयपुर (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2004 के अन्तर्गत कर रूपये 58,505/– एवं शास्ति रूपये 1,17,010/– कुल मांग राशि रूपये 1,75,515/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2004 को वाहन संख्या एच.आर38–के/0373 को चैक किया। वाहन चालक/मालप्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों के अनुसार परिवहनित माल मुम्बई से दिल्ली के लिये था एवं माल के साथ मैसर्स सुपर फास्ट कॉर्पोरेशन मुम्बई का चालान संख्या 3114 दिनांक 30.11.2004 जिस पर रतनपुर चैकपोस्ट की मुहर अंकित थी, जिसमें दर्शाई गई बिल्टियां चालान के साथ संलग्न थी। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर बिल्टी संख्या 97183 दिनांक 29.11.2004 के जरिये 15 कार्टून गुडस के अंकित थे जिसमें माल भेजने वाला राज व पाने वाला सेल्फ अंकित था। उक्त माल के संबंध में कोई बिल संलग्न नहीं था। अतः संदेह होने पर परिवहनित माल का नियमानुसार भौतिक सत्यापन किया गया उक्त बिल्टी संख्या 97183 के जरिये 15 कार्टून शटलकॉक कीमतन रूपये 92,235/– की पाई गई व दूसरी बिल्टी संख्या 97211/12 के कार्टून मे पारस फार्मास्युटिकल्स कंपनी की मूव क्रीम 480 नग पाई गई। इसी प्रकार एक अन्य बिल्टी संख्या 97242 दिनांक 30.11.2004 में 20 कार्टून निविया अंकित है, जिसमें भी माल भेजने वाला राज व पाने वाला सेल्फ अंकित है, जिसकी कीमत रूपये 85,800/– थी। उक्त माल के साथ भी कोई बिल संलग्न नहीं था। इसी प्रकार अन्य बिल्टी संख्या 97201 दिनांक

लगातार.....2

30.11.2004 के जरिये 10 कार्टून प्लास्टिक गुडस मैसर्स नेशनल कंपनी मुंबई के बिल संख्या 6803 दिनांक 30.11.2004 कीमतन रूपये 14,300/– मैसर्स एन.जी. दिल्ली को जाना दर्शाया गया तथा 10 कार्टून पियानों कीमतन रूपये 43,200/– भी बिना बिल के परिवहनित करना पाया गया। जांच पर यह तथ्य भी सामने आया कि बिल्टी संख्या 97247 दिनांक 30.11.2004 के जरिये 5 कार्टून इलेक्ट्रोनिक गुडस मैसर्स नेशनल कंपनी मुम्बई के बिल संख्या 6803 दिनांक 30.11.2004 कीमतन रूपये 7700/– एन. जी. दिल्ली को जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार एक ही बिल संख्या 6803 के जरिये दो अलग–अलग बिल्टियों संख्या 97201 से 10 कार्टून प्लास्टिक गुडस एवं इसी बिल की दूसरी प्रति के जरिये बिल्टी संख्या 97247 के जरिये 5 कार्टून इलेक्ट्रोनिक गुडस व्यवसाई द्वारा परिवहनित किया जा रहा था, जो कि स्पष्ट रूप से कर चोरी की नियत से कूट रचित दस्तावेजों के जरिये परिवहनित किया जा रहा था। भौतिक सत्यापन में 7 कार्टून स्पार्क मार्का घडिया कीमतन रूपये 201600/– भी बिना बिल के पाई गई। उपरोक्त समस्त कृत्य राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 78(2)(4) एवं 80(2) सपठित नियत 56ए का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण वाहन चालक/माल प्रभारी को वास्ते स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। व्यवसाई की ओर से नोटिस का जवाब पेश किया गया। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 78(2)(4) एवं 80(2) सपठित नियम 56ए के तहत कर रूपये 58,505/– एवं कर से दुगुनी शास्ति रूपये 1,17,010/– आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 78(2)(4) एवं 80(2) सपठित नियत 56ए के तहत आरोपित कर एवं कर की दुगुनी शास्ति को अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की गई, जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है उन्होंने कथन किया कि वक्त जांच वाहन में लदे माल के दस्तावेज चाहे गये। परन्तु विवादित माल के बिल नहीं पाये गये एवं जिन व्यवहारियों का माल प्रेषण करना बताया, उनका अस्तित्व नहीं पाया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक थी जिसको अपीलीय अधिकारी के उचित रूप से अपास्त किया है। परिवहनित माल राज्य बाहर मुम्बई से राज्य बाहर दिल्ली के लिये था एवं वांछित दस्तावेजों से समर्थित था एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत कर रतनपुर चैकपोस्ट पर टी.पी. (ट्रांजिट पास) बनवाई गई थी, जो कि वक्त जांच कर निर्धारण अधिकारी को मय अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुए प्रकरण में मौजूद तथ्यों के विपरीत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी पर कर

लगातार.....3

एवं शास्ति का आरोपण किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकारी ने उचित तौर पर अपास्त कर दिया। परिवहनित माल का राजस्थान राज्य से कोई सरोकार नहीं था, वह तो केवल राजस्थान राज्य से अपने गंतव्य स्थल को जाने हेतु गुजर रहा था। प्रत्यर्थी का राज्य में करापवंचन का कोई दोषी मनोभाव नहीं था। सशक्त अधिकारी को धारा 80(2) के तहत किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने कोई अधिकार नहीं था। धारा 80(2) में केवल तभी कार्यवाही की जा सकती है जबकि चालक/माल प्रभारी वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेजों को राज्य की प्रवेश जांच चौकी पर प्रस्तुत कर वांछित ट्रांजिट पास प्राप्त नहीं करता। जबकि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में नियमानुसार प्रवेश जांच चौकी रतनपुर पर दस्तावेजों को प्रस्तुत कर ट्रांजिट पास प्राप्त कर लिया गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा वंछित नियमों की पालना पूर्ण रूप से की गई है। जांच अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि परिवहनित माल राज्य में कहीं उतारा अथवा बेचा गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर जो कर व शास्ति का आरोपण किया गया है वह न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में कोई भूल कारित नहीं की है। अपने तर्क के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :–

1- 19TUD-349(RTB) ACTO.FS. GNR Vs. S.S. Timber Traders. Punjab.
2- 13TUD-226(RTB) ACTO.FS. BPR Vs.Kundanmal Mukundamal Tarders.
3- 15TUD-77(RTB) ACTO.FS. GNR Vs. Economic Transpoet org. Roper
4- 10 STT 218 (RHC) State of Rajasthan Vs Sodhi Transport Co.
5- 36 TUD 210(RHC) ACTO Vs Omkara Roadways

उक्त प्रकरण निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्तों से आच्छादित होने के कारण अपीलीय अधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। यह निर्विवादित तथ्य है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2004 को वाहन संख्या एच. आर38–के/0373 को चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों के अनुसार माल मुम्बई से दिल्ली के लिये परिवहनित था एवं माल के साथ मैसर्स सुपर फास्ट कॉर्पोरेशन मुम्बई का चालान संख्या 3114 दिनांक 30.11.2004 जिस पर रतनपुर चैकपोस्ट की मुहर अंकित थी, चालक/माल प्रभारी वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेजों को राज्य की प्रवेश जांच चौकी पर प्रस्तुत कर वांछित ट्रांजिट पास प्राप्त किया है।

7. इस संदर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त दृश्व्य है जिनका सारांश निम्नानुसार है :–

(i) [2001] 10 Sales Tax Today 218, 9(RHC, Jaipur) The State of Rajasthan and another V/s M/s Sodhi Transport Co. and Another Dated 10.12.1997 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है :–

लगातार.....4

"In this view of the matter section 22A, RST Act not being applicable, confined as it is to the checking of evasion of tax under the RST Act in Rajasthan, the question of imposing penalty under section 22A(7) RST Act in cases of goods transiting through Rajasthan cannot arise. The sales tax authorities of Rajasthan can, of course, stop and check any vehicle but if it contains goods coming from another State and bound for another State they can only insist and ensure that the goods leave Rajasthan."

एवं **(ii) 36 Tax Update 210 (RHC, Jodhpur) Asstt. commercial Taxes Officer V/s M/s Onkara Roadways sanjay Gandhi Transport Nagar Dated 08.05.2013** में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है :–

"The learned Tax Board has observed that it is not in dispute that the goods transported by the transporter had been passed out from State of Rajasthan and has not been sold in State of Rajasthan, then it was not proper on the part of the Assessing Authority to impose penalty under section 82 of the Act of 1994. This court is of the opinion that the learned Tax Board has not committed any illegality in quashing the penealty levied by the Assessing Authority particularly in view of the fact that there is no dispute about the fact that the goods transported has been passed out from State of Rajasthan and had not been sold in State of Rajasthan"

8. राज्य से राज्य के बाहर माल के गमना गमन पर अधिनियम के तहत निम्न प्रावधान है :–धारा 80

" Transit of goods by road through the State and issue of transit pass.- (1) Where a vehicle or carrier coming from any place outside the State and bound for any place outside the State and carrying any goods bound for any place outside the State, passes through the State, the owner, the driver or the person incharge of such vehicle or carrier or goods shall obtain in the prescribed manner a transit pass for such goods from the Incharge of the first check post after his entry into the State and deliver it to the Inchagre of the last check post before his exit from the State.

(2) Where such owner, driver or person incharge fails to deliver such transit pass in respect of any goods in accordance with the provisions of sub-section (1) or is found to have suppressed or given false particulars of any consignment of goods in his application for issue of transit pass, it shall be presumed that such goods have been sold within the state by the owner, the driver or the person incharge of the vehicle or the carrier or the goods and after having afforded an opportunity of being heard to such owner, driver or person incharge, any officer bot below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorized by the Commissioner, Shall make an order that notwithstanding anything contained in this Act, such owner, driver or person incharge shall pay tax on such sale together with the penalty equal to double the amont of such tax.

लगातार.....5

(3) The system of transit pass as provided in sub-section (1) and (2) shall come into force from such date and at such check post as may be notified by the Commissioner from time to time."

9. रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाहन चालक/माल प्रभारी दिनांक 01.12.2004 को वाहन एच.आर 38 1सी 0373 में लदे समस्त माल के संबंधित दस्तावेज मय चालान संख्या 003114 दिनांक 30.11.2004 मुम्बई से दिल्ली हेतु प्रेषित तथा प्रस्तुत कियें हैं। प्रस्तुत किया है एवं चैक पोस्ट से गुजरने की सील भी प्रभारी द्वारा चालना पर अंकित की गई है। उक्त चालान पर स्टीकर समाप्त की सील भी अंकित की गई है जो ट्रांजिट पास (T.P) की एवज में अंकित की गई है अर्थात वाहन चालक द्वारा रतनपुर चैक पोस्ट से ट्रांजिट पास राज्य से बाहर से बाहर माल परिवहित करने के आशय से प्राप्त कर चैक पोस्ट रतनपुर पर इसकी घोषणा की गई है। इसी चालान पर वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–सी, उदयपुर द्वारा "T.P की दिनांक 10.01.05 तक बढायी जाती है", की इबारत दिनांक 07.01.05 को अपने हस्ताक्षर से अंकित की गई है।

अतः उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माल वाहन संख्या एच.आर 38 1सी 0373 द्वारा मुम्बई से दिल्ली हेतु परिवहित थाा। वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त सी, उदयपुर द्वारा T.P की वैधता तिथि बढाने से भी यह स्पष्ट है कि वाहन चालक द्वारा माल के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य से बाहर से बाहर माल परिवहित किये जाने बाबत T.P प्राप्त की गई है। ऐसी स्थिति में जब प्रवेश जांच चौकी पर T.P प्राप्त कर वाहन को चैक पोस्ट के आगे ही जांच हेतु रोका गया है जबकि जांच अधिकारी ने वाहन को अन्यथा स्थिति में यथा राष्ट्रीय राजमार्ग से अलग परिवहन करते हुए नहीं पाया गया, ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिपादित राज्य के बाहर से बाहर परिवहित माल के संबंध में शास्ति आरोपण अनुचित है। वाहन चालक द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 56ए के प्रावधानों का भी पालन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

10. उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति उचित नहीं होने के फलस्वरूप विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26.12.2007 की पुष्टि करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

11. आदेश प्रसारित गया।

23.6.2016

(मदन लाल)
सदस्य